

मुकदमा नम्बर :- 40/2022

सेवामें ,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी

तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थी

1. राकेश बागडी ७/० चेमाशाम
2. अशोक ७/० चेमाशाम
3. चेमाशाम ~~बा~~ बशीलाल पि. प्रभुलाल
जाति... साधी निवासी... बा
4. मोहनलाल ७/० नारुराम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी राकेश अशोक पि. प्रभुलाल निवासी बा के नाम से ग्राम बा पटवार मंडल बा तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।


पटवारी हल्का बा एवं भू अ.नि. बा की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर
रायपुर (जिला-पाली)

फर्दमौका

आज दिनांक 19.7.2022 को ग्राम खर के खसरा संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
रकबा 0.1862, 0.3804 किस्म बा-स खातेदार राधेश अशोक पि. येमाराज, येमाराज, कृष्णराज
0.3723, 0.1942 कौम साव का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।

सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न—1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर पटवारी


हस्ताक्षर गवाहान

अशोक लाम्नी
Rakesh Bagan
बेशरिलाल कागड़ी
येमाराज कागड़ी

 अ.नि.
मोहमलाल

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का खर की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली
गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर
तरमीम किया जाना उचित है।


हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक

क्रमांक 12/21/121/22/1968 date 02-08-22

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का ब जांच भू अ. नि.

के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।

कानूली के समथ एलीम की गई है। माउ फुलने के विन के
माउ कठोर एलीम दुशरी एलीम की गई है।

तहसीलदार रायपुर

तहसीलदार
रायपुर (जिला-पाली)

सुक्रमा नम्बर :- 40/2022

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम ब

संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 रकबा 0.1862, 0.3804, 0.3723, 0.1948 के खसरा
(हलका) की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम
किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।

Reader



उपरखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)